## समितियाँ

| क्रम सं. | परिपत्र/आदेश संख्या | दिनांक | विषयवस्तु | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | प.5(47)प्र0सु0/88 | 25 मार्च,1989 | ऐसे क्षेत्र जहाँ वन नहीं हैं तथा लगाये जाने की संभावना भी नहीं है खनन कार्यों हेतु अनारक्षण करने की सिफारिश हेतु जिला स्तर समिति | 384 |
| 2. | प.6(17)प्र.सु./अनु.3/2000 | 6 जून, 2000 | राज्य स्तरीय वन्यजीव अनुसंधान सलाहकार समिति | 385 |
| 3. | प.10(17)वन/82 पार्ट | 16.12.2002 | अवैध आरा मशीनों को बन्द करने हेतु जिला स्तरीय कमेटी | 386 |
| 4. | प.6(10)प्र.सु./अनु.3/2003 | 19.2.2003 | नेशनल ग्रीन कोर योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी | 387 |
| 5. | प.6(19)प्र.सु./अनु.3/2003 | 2.6.2003 | वन भूमि से अतिक्रमणों की बेदखली व निस्तारण हेतु वनमण्डल स्तरीय समिति। | 388 |
| 6. | प.6(19)प्र.सु./अनु.3/2003 | 2.6.2003 | वन भूमि से अतिक्रमणों की बेदखली व निस्तारण हेतु राज्य स्तरीय समिति। | 388 |
| 7. | प.6(19)प्र.सु./अनु.3/2003 | 2.6.2003 | वन भूमि से अतिक्रमणों की बेदखली व निस्तारण हेतु वृत्त स्तरीय समिति। | 389 |
| 8. | एफ14( )01/वसु/प्रमुवसं/ 9107-9257 | 27.8.2003 | वन भूमि पर स्थित अतिक्रमणों एवं उनकी बेदखली की स्थिति की सूचना बाबत् | 390 |
| 9. | एफ()प्रमुवसं/वउ/02/ 9995-10027 | 21.12.2004 | तेन्दूपत्ता इकाइयों हेतु स्थाई समिति | 391 |
| 10. | 7(16)देव/91/पार्ट-4 | 2.12.05 | देवस्थान विभाग की भूमि पर खनन कार्य के लिए भूमि का सीमांकन करने के लिए समिति | 391 |
| 11. | प.6(14)प्रसु/अनु.3/2008 (1) | 14.3.2008 | वन निवासी अधिनियम 2006 की क्रियान्विती हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति | 392 |
| 12. | प.6(14)प्रसु/अनु.3/2008(2) | 14.3.2008 | वन निवासी अधिनियम 2006 की क्रियान्विती हेतु जिला स्तरीय समिति | 393 |
| 13. | एफ17()परावि/प्रशा-1/ 2008/2329 | 22.7.2008 | पंचायत स्तर पर एक स्थाई पर्यवेक्षण समिति | 394 |

**राजस्थान सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार, अनु03) की आज्ञा क्रमांकः प.5(47)प्र0सु0/88 जयपुर, दिनांक 25 मार्च, 1989**

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 13 दिसम्बर, 1988 को विलोपित करते हुए राज्य में ऐसे घोषित वन क्षेत्र जहां वन नहीं हैं और जहां वन लगाने की सम्भावना भी नहीं है पर जिसमें खनिज सम्पदा उपलब्ध है, का निर्धारण करने व उसके अनारक्षण करने की सिफारिश करने के लिये प्रत्येक जिला स्तर पर निम्न अधिकारियों की एक खनिज समिति गठन किये जाने की राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जिला कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 2. | जिला वन अधिकारी | सदस्य |
| 3. | उप खण्ड अधिकारी | सदस्य |
| 4. | संबंधित खनि अभियंता / सहायक खनि अभियन्ता | सदस्य-सचिव |

उक्त समिति वन भूमि जिसका अनारक्षण प्रस्तावित है, के स्थान पर दूसरी भूमि देने के प्रस्ताव भी राज्य सरकार को निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर के माध्यम से समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर प्रस्तुत करेगी।

इसके अतिरिक्त यह समिति खनन कार्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्य भी करेगी :-

1. समिति ऐसे क्षेत्र चाहे वह वन, राजस्व या अन्य विभागों के हों, जिनमें अवैध खनन कार्य चल रहा हो अथवा जहां चलने की शिकायतें हों, की सूचियां बनायेगी। ऐसी सूचियां समय-समय पर संशोधित करवाई जायेंगी।
2. समिति एक विशेष दल जिनमें राजस्व, खनिज एवं वन विभाग (और पुलिस भी यदि इसकी आवश्यकता हो) के प्रतिनिधि हों, का गठन करेगी। यह दल अवैध खनन कार्य वाले क्षेत्रों में जायेगा और आवश्यक कार्यवाही हेतु विभिन्न विभागों से संबंधित सिफारिश समिति को करेगा। दल द्वारा अवैध कार्य को रोकने के लिये जिले के लिये समिति द्वारा एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जायेगा।
3. समिति अवैध खनन कार्य वाले क्षेत्रों की सूचियां एवं विशेष दल द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही की निरन्तर समीक्षा करती रहेगी।
4. किसी जिले में किसी क्षेत्र को वन क्षेत्र (जिसमें अभयारण्य भी शामिल होंगे) घोषित करने की सिफारिश करने के पहले जिला वन अधिकारी इस समिति से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
5. यह समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि वन व राजस्व विभागों के क्षेत्रों के नक्शे खनिज विभाग को प्राप्त हों और खनिज क्षेत्रों के नक्शे भी राजस्व एवं वन विभागों को प्राप्त हों। यह समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि वन और राजस्व विभागों के नक्शों पर खनिज क्षेत्र अध्यारोपित (सुपरइंपोज्ड) हो। इसके लिये भी एक समयबद्ध कार्यक्रम समिति द्वारा निर्धारित किया जावेगा और समिति इस कार्यक्रम की क्रियान्विति की निरन्तर समीक्षा करती रहेगी।
6. अवैध खनन कार्यों की सूचना जिला स्तरीय राजस्व और वन विभागों के अधिकारी खनिज विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को भिजवायेंगे और इसी प्रकार खनिज विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी भी इस प्रकार की सूचना राजस्व व वन विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को भिजवायेंगे। सूचना प्राप्त होने पर संबंधित विभागों के अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करेंगे। कार्यवाही करते समय यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि दोषी अधिकारी/कर्मचारी जिनमें पर्यवेक्षण की कमी अथवा जिनके सहयोग से अवैध खनन कार्य किया गया हो, उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जावे।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग, खान विभाग रहेगा।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर/-
(वी.पी.गोयल)
उप शासन सचिव

**राजस्थान सरकार, प्रशासनिक सुधार विभाग, (अनुभाग-3) आज्ञा क्रमांकः प.6(17)प्र.सु./अनु.3/2000 जयपुर दिनांक 6 जून, 2000**

राज्य में वर्तमान में 27 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों और 33 शिकार निषिद्ध क्षेत्रों के दृष्टिगत वन्य जीव प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान एवं इसके सुधार की आवश्यकता को देखते हुए राज्य स्तरीय वन्य जीव अनुसंधान सलाहकार समिति का निम्नानुसार गठन किये जाने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

कमेटी के सदस्य निम्नानुसार होंगे :-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर | अध्यक्ष |
| 2. | मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर | सदस्य |
| 3. | वन संरक्षक (प्रोजेक्ट फार्मुलेशन) (PF&E) | सदस्य |
| 4. | विभागाध्यक्ष (जूलोजी और बोटनी) यूनिवर्सिटी ऑफ राज0,जयपुर | सदस्य |
| 5. | प्रतिनिधि, भारतीय जूलोजिकल सर्वेक्षण विभाग, जोधपुर | सदस्य |
| 6. | प्रतिनिधि, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, देहरादून | सदस्य |
| 7. | प्रतिनिधि, बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम | सदस्य |
| 8. | राज्य वन्य जीव सलाहकार मण्डल का राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक सदस्य | सदस्य |
| 9. | वन संरक्षक (वन्य जीव), जयपुर | सदस्य सचिव |

समिति के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :-

1. राज्य में अनुसंधान के प्रबन्ध हेतु गाईड लाईन तैयार करना।
2. अनुसंधान के क्षेत्रों तथा विषयों की प्राथमिकता तय करना।
3. विभिन्न विषयों के अनुसंधान के लिये सन्दर्भ शर्तें विकसित करना।
4. विभिन्न संस्थाओं की पहचान करना व उनमें समन्वय करना।
5. विभिन्न संस्थाओं को अनुसंधान कार्यों का आवंटन तय करना।
6. अनुसंधान की प्रगति तथा परिणाम की मोनिटरिंग।
7. अनुसंधान से होने वाली उपलब्धियों को दिन-प्रतिदिन के मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्लान्स में समायोजित कराना।

वन विभाग उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग रहेगा। प्रत्येक वर्ष में कम से कम तीन बार उक्त समिति की बैठक होगी। समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

हस्ताक्षर/-
(श्रीमती हंसा सिंह देव)
शासन उप सचिव

**राजस्थान सरकार, वन विभाग की आज्ञा क्रमांकः प.10(17)वन/82 पार्ट दिनांक 16.12.2002**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन संख्या 202/1995 श्री.टी.एन.गोदावरमन बनाम भारत संघ व अन्य में अपने आदेश दिनांक 30.10.2002 से राज्यों को अवैध रूप से बिना लाईसेंस के चल रही आरा मशीनों को तुरन्त प्रभाव से बंद करने के आदेश दिये हैं। अतः उपरोक्त आदेश की अनुपालना में राज्य में अवैध रूप से चल रही आरा मशीनों को तुरन्त प्रभाव से बंद करने हेतु समस्त जिलों में निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है :-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जिला कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 2. | पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 3. | मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक | सदस्य सचिव |
| 4. | अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लि0 | सदस्य |
| 5. | जिला उद्योग अधिकारी | सदस्य |

उक्त कमेटी अवैध रूप से चल रही आरा मशीनों को बंद करवाया जाना सुनिश्चित करेगी एवं भविष्य में भी कोई आरा मशीन अवैध रूप से नहीं चले इस बात का ध्यान रखेगी।

भवदीय,
हस्ताक्षर/--
(अतुल कुमार गर्ग)
शासन सचिव

**Operative para of Supreme Court Judgement dated 30.10.2002**

A. Regarding Saw Mills (IA No. 301-382)

No State or Union Territory shall permit any unlicensed saw-mills, veneer, plywood industry to operate and they are directed to close all such unlicensed unit forthwith. No State Government or Union Territory will permit the opening of any saw-mills, veneer or ply-wood industry without prior permission of the Central Empowered Committee. The Chief Secretaries of such States will ensure strict compliance of this direction. There shall also be no relaxation of rules with regard to the grant of licence without previous concurrence of the Central Empowered Committee.

It shall be open to apply to this Court for relaxation and or appropriate modification or orders plantations on grant of licences.

**राजस्थान सरकार, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग 3) विभाग आज्ञा क्रमांकः प.6(10)प्र.सु./अनु.3/2003 जयपुर, दिनांक 19.2.2003 कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पृष्ठांकन क्रमांकः एफ21(3)02/विकास/प्रमुवसं/11657-11782 दिनांक 10.3.2003**

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नेशनल ग्रीन कोर योजना के क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु राज्य स्तर पर राज्यपाल महोदय की आज्ञा से निम्नांकितों की एक स्टेट स्टीयरिंग कमेटी गठित की जाती है :-

| | | |
|---|---|---|
| 1 | सचिव, वन | अध्यक्ष |
| 2 | सचिव, पर्यावरण अथवा उनका नामित अधिकारी उप सचिव स्तर से कम नहीं | सदस्य |
| 3 | सचिव, शिक्षा अथवा उनका नामित अधिकारी, उप सचिव स्तर से कम नहीं | सदस्य |
| 4 | सचिव, स्वास्थ्य अथवा उनका नामित अधिकारी उप सचिव स्तर से कम नहीं | सदस्य |
| 5 | सचिव, पंचायतीराज अथवा उनका नामित अधिकारी उप सचिव स्तर से कम नहीं | सदस्य |
| 6 | रिसोर्स एजेन्सी अर्थात् निदेशक सेन्टर फॉर इनवायरमेंट एज. थन्तेज टेकरा, अहमदाबाद के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 7 | अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना, जयपुर | सदस्य |
| 8 | पर्यावरण प्रहरी, जयपुर (एन.जी.ओ.) | सदस्य |
| 9 | श्री के.एन.सिंह, निदेशक माउन्टेनियरिंग इन्स्टीट्यूट, झालाना डूंगरी, जयपुर(एन.जी.ओ.) | सदस्य |
| 10 | सचिव, भारत स्काउट एवं गाइडस, राजस्थान, जयपुर | सदस्य सचिव |

**समिति के निम्न कार्यकलाप होंगे**

(क) योजना की क्रियान्विति के लिये समन्वयन।

(ख) इको क्लबों की मदद के लिये विभिन्न राजकीय विभाग को प्रोत्साहित करना।

(ग) जिला एवं राज्य स्तर पर योजना की क्रियान्विति हेतु समयबद्ध समीक्षा एवं सुझावात्मक एक्टिविटीज।

(घ) सर्वश्रेष्ठ जिला, इको क्लब का चयन कर उनकी एक्टिविटीज की पब्लिसिटी करना ताकि अन्य जिले एवं क्लबों द्वारा भी उनका अनुसरण हो सके।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग वन विभाग होगा एवं इसका कार्यकलाप अग्रिम आदेश तक होगा।

इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प.5(24)प्र.सु./ग्रुप-III/88 दिनांक 10.5.99 द्वारा गठित जिला पर्यावरण समितियों/परिसंकटमय अपशिष्टों के व्ययन स्थल के लिये चयनित समितियों के गठन आदेश में यह भी निर्देशित किया जाता है कि इन समितियों के सदस्य सचिव, उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी समिति की प्रत्येक बैठक में भारत स्काउट तथा गाईड के एक प्रतिनिधि को स्थाई रूप से विशेष अतिथि के क्रम में आमंत्रित करेंगे।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर/-
उप शासन सचिव

**राजस्थान सरकार, प्रशासनिक सुधार (अनु.3) विभाग, की आज्ञा क्रमांकः प.6(19)प्रसु/अनु.3/2003 दिनांक 2.6.2003**

रिट याचिका संख्या 202/95 में आई.ए. संख्या 703 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.11.2001 एवं इस विषयक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 7-16/2002 एफ.सी. दिनांक 2.5.2002 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में राज्य की वन भूमि से अतिक्रमणों की बेदखली एवं निस्तारण के लिए प्रभावी कार्यवाही हेतु राज्यपाल महोदय की आज्ञा से निम्नांकित वन मण्डल स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | संबंधित उप वन संरक्षक | संयोजक |
| 2. | संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 3. | संबंधित जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट | सदस्य |
| 4. | आयुक्त, संबंधित नगर निगम/नगर परिषद | सदस्य |

उक्त समिति स्थाई होगी जो वन भूमि से अतिक्रमणों को बेदखल किये जाने की कार्यवाही करेगी।

उक्त समिति का प्रत्येक माह में बैठक होगी।

समिति का प्रशासनिक विभाग वन विभाग होगा।

समिति द्वारा किये गये प्रत्येक कार्य की सूचना वन विभाग को भिजवायी जावे।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर/-
उप शासन सचिव,
प्रशासनिक सुधार विभाग

---

**राजस्थान सरकार, प्रशासनिक सुधार (अनु.3) विभाग की आज्ञा क्रमांकः प.6(19)प्र.सु./अनु.3/2003 जयपुर, दिनांक 2.6.2003**

रिट याचिका संख्या 202/95 में आई.ए. संख्या 703 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.11.2001 एवं इस विषयक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 7-16/2002/ एफ.सी. दिनांक 3.5.2002 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में राज्य की वन भूमियों से अतिक्रमणों की बेदखली एवं निस्तारण के लिए प्रभावी कार्यवाही एवं उसकी समीक्षा के लिए राज्यपाल महोदय की आज्ञा से निम्नांकित राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर | अध्यक्ष |
| 2. | सचिव, गृह विभाग | सदस्य |
| 3. | महानिदेशक, पुलिस | सदस्य |
| 4. | सचिव, वन विभाग | सदस्य |
| 5. | सचिव, नगरीय विकास विभाग | सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर | सदस्य |
| 7. | मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) | सदस्य सचिव |

**उक्त समिति के निम्नांकित कार्य होंगे :-**

1. उक्त समिति स्थाई होगी।
2. उक्त समिति राज्य में वन भूमि से अतिक्रमणों की बेदखली एवं उससे उत्पन्न समस्याओं के निस्तारण हेतु की जाने वाली कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा करेगी।
3. अतिक्रमणों की बेदखली और प्रभावी रोक की कार्यवाही करने में अक्षम अधिकारियों/ कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण करेगी।
4. समिति की प्रत्येक छः माह में बैठक होगी।

समिति का प्रशासनिक विभाग वन विभाग होगा।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर/-
उप शासन सचिव,
प्रशासनिक सुधार विभाग

---

**राजस्थान सरकार, प्रशासनिक सुधार (अनु.3) विभाग की आज्ञा क्रमांकः प.6(19)प्रसु/अनु.3/2003 जयपुर, दिनांक 2.6.2003**

रिट याचिका संख्या 202/95 में आई.ए. संख्या 703 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.11.2001 एवं इस विषयक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 7-16/2002/ एफ.सी. दिनांक 2.5.2002 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में राज्य की वन भूमि से अतिक्रमणों की बेदखली एवं निस्तारण के लिए प्रभावी कार्यवाही हेतु राज्यपाल महोदय की आज्ञा से निम्नांकित वृत्त स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | संबंधित वृत्त का वन संरक्षक | अध्यक्ष |
| 2. | संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 3. | संबंधित जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट | सदस्य |
| 4. | आयुक्त, संबंधित नगर निगम/नगर परिषद | सदस्य |
| 5. | संबंधित उप वन संरक्षक | सदस्य सचिव |

उक्त समिति स्थाई होगी जो वन भूमि से अतिक्रमणों को बेदखल किये जाने की नियमित कार्यवाही करेगी।

उक्त समिति की प्रत्येक तीन माह में बैठक होगी।

समिति का प्रशासनिक विभाग वन विभाग होगा।

समिति द्वारा किये गये प्रत्येक कार्य की सूचना वन विभाग को भिजवायी जावेगी।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर/-
उप शासन सचिव,
प्रशासनिक सुधार विभाग

---

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ14( )01/वसु/प्रमुवसं/ 9107-9257 दिनांक 27.8.2003**

**निमित्त :- समस्त वनाधिकारीगण**

**विषय :- वन भूमि पर स्थित अतिक्रमणों एवं उनकी बेदखली की स्थिति की सूचना बाबत्**

**सन्दर्भ : इस कार्यालय के निर्देश परिपत्र क्रमांकः 6037-45 दिनांक 21.6.02, 6052-6182 दि0 21.6.03**

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि रिट याचिका संख्या 202/95 में आई.ए. नम्बर 703 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.11.2001 एवं इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा वन भूमि पर स्थित अतिक्रमणों को एक समयबद्ध कार्यक्रम तय कर बेदखल किये जाने हेतु विस्तृत निर्देशों क्रमांकः 7-16/2002/एफ.सी. दिनांक 3.5.2002 के क्रम में संदर्भित पत्र द्वारा आपको कार्यवाही करने हेतु पाबंद किया गया था। इन्हीं आदेशों के क्रम में राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक प.6(19)प्रसु/अनु.3/ 2003 दिनांक 2.6.2003 से राज्य स्तर, वृत्त स्तर एवं वन मण्डल स्तर पर स्थाई समितियों का गठन किया है, जिसमें क्रमशः मुख्य सचिव, संबंधित वृत्त के वन संरक्षक, अध्यक्ष एवं उप वन संरक्षक संयोजक हैं। उक्त समितियाँ अतिक्रमणों का बेदखल किये जाने हेतु नियमित कार्यवाही करेगी। बेदखल किये जाने वाले अतिक्रमणों की त्रैमासिक रिपोर्ट भारत सरकार/राज्य सरकार को भिजवाई जावेगी जिसके लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 4322-342 दिनांक 19.4.2003, 7190-96 दिनांक 30.6.2003 से आपको भिजवाया जा चुका है। अतः उपरोक्त राज्यादेशों की छाया प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि आलोच्य प्रकरण में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे एवं प्रत्येक त्रैमास (अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्टूबर-दिसम्बर, जनवरी-मार्च) की सूचना आगामी माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे। इस संबंध में आप अपने स्तर से भी संबंधित अधिकारीगणों को पाबंद करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

---

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ( )प्रमुवसं/वउ /02/9995-10027 दिनांक 21.12.2004**

तेन्दू पत्ता इकाइयों के व्ययन हेतु निविदाएं खोलने, उनका नियमानुसार परीक्षण तथा टिप्पणी देने, तुलनात्मक मानचित्र तैयार करने तथा अपनी अभिशंषा करने हेतु निम्नानुसार स्थायी कमेटी का गठन किया जाता हैः-

1. वन संरक्षक (सम्बन्धित वृत्त)
2. उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी (सम्बन्धित वन मण्डल)
3. वित्तीय सलाहकार अथवा उनका प्रतिनिधि।

उक्त कमेटी द्वारा तदोपरान्त टेन्डरों को आवश्यक कार्यवाही हेतु बिक्री एवं व्ययन समिति को प्रस्तुत किये जावेंगे जो अपनी सिफारिश सहित उसे अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करेंगे।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

---

**राजस्थान सरकार, देवस्थान विभाग का आदेश क्रमांक 7(16)देव/91/पार्ट-4 जयपुर दिनांक 2.12.05 कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पृष्ठांकन क्रमांकः एफ5( )2004/तक/प्रमुवसं /2716-850 दिनांक 2.1.2006**

देवस्थान विभाग की भूमि पर खनन कार्य के लिए भूमि का सीमांकन करने के लिए आयुक्त देवस्थान विभाग के प्रस्तावानुसार निम्नांकित अधिकारियों की एक समिति गठित की जाती है :-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | संबंधित सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग | संयोजक |
| 2. | संबंधित सहायक खनि अभियन्ता | सदस्य |
| 3. | संबंधित तहसीलदार | सदस्य |
| 4. | संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी (समीप में वन भूमि होने की स्थिति में) | सदस्य |

नोट :- 1. समिति के निर्देशन में कराए गए समस्त सीमांकन कार्य अंतिम होंगे।

2. समिति अपने सहयोग के लिए विभागीय कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं ले सकेगी।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर/-
शासन उप सचिव

---

**राजस्थान सरकार, प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) की आज्ञा क्रमांकः प.6(14)प्रसु/अनु.3/2008 (1) जयपुर, दिनांक 14.3.2008**

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (2007 का 2) दिनांक 31.12.2007 से लागू हो गये हैं एवं इनके निर्मित नियत की अधिसूचना दिनांक 1.1.2008 को जारी हो चुकने के कारण इसकी क्रियान्विति हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से उप खण्ड स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार एतद् द्वारा किया जाता है :-

| | | |
|---|---|---|
| क | उप खण्ड अधिकारी | अध्यक्ष |
| ख | ब्लॉक या तहसील स्तर की पंचायतों के तीन सदस्य जिन्हें जिला पंचायत द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा जिनमें से कम से कम दो अनुसूचित जनजातियों के होंगे, जो अधिमानतः ऐसे सदस्य होंगे जो वन निवासी हैं या जो आदिम जनजातीय समूहों के हैं और जहां कोई अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं। वहां ऐसे दो सदस्य जो अधिमानतः अन्य परम्परागत वन निवासी हैं और एक महिला सदस्य होगी। | सदस्य |
| ग | उपखण्ड का भारसाधक, वन अधिकारी, वन विभाग | सदस्य |
| घ | विकास अधिकारी (उपखण्ड की समस्त पंचायत समितियां) | सदस्य |

**उपखण्ड स्तरीय समिति के कृत्य :-**

| | |
|---|---|
| क | प्रत्येक ग्राम सभा को नाजुक पेड़-पौधे और जीव-जन्तु के संदर्भ में, जिन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखे जाने की आवश्यकता है, वन्य जीव, वन और जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में उनके कर्तव्य और वन अधिकारों के धारक के कर्तव्यों तथा अन्य के कर्तव्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी। |
| ख | ग्राम सभा और वन अधिकार समिति को वन और राजस्व मानचित्र और मतदाता सूची उपलब्ध कराएगी। |
| ग | सम्बद्ध ग्राम सभाओं के सभी संकल्पों को एक साथ मिलाएगी। |
| घ | ग्राम सभाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्रों और ब्यौरों को समेकित करेगी। |
| ड. | दावों की सच्चाई को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं के संकल्पों और मानचित्रों की परीक्षा करेगी। |
| च | किन्हीं वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा के सम्बन्ध में, ग्राम सभाओं के बीच विवादों की सुनवाई करेगी और उनका न्यायनिर्णयन करेगी। |
| छ | ग्राम सभाओं के संकल्पों से व्यथित व्यक्तियों, जिनके अंतर्गत राज्य अभिकरण भी है, अर्जियों की सुनवाई करेगी। |
| ज | अतः उपखण्ड दावों के लिए उपखण्ड स्तर की समितियों के साथ समन्वय करेगी। |
| झ | सरकारी अभिलेखों में सामंजस्य करने के पश्चात् प्रस्तावित वन अधिकारों के ब्लॉक या तहसीलवार प्रारूप अभिलेख तैयार करेगी। |
| ण | प्रस्तावित वन अधिकारों के प्रारूप अभिलेख के साथ दावों को उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से जिला स्तर की समिति को अंतिम विनिश्चय के लिए अग्रेषित करेगी। |
| ट | वन निवासियों में अधिनियम के अधीन और नियमों में अधिकथित उद्देश्यों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करेगी। |

ठ दावेदारों को दावों के इन नियमों के उपाबंध-1 (प्रारूप क और ख) में यथा उपबंधित प्रोफार्मा की आसानी से और निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

ड यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राम सभा के अधिवेशन अपेक्षित गणपूर्ति के साथ मुक्त, खुली और निष्पक्ष रीति से किए जाते हैं।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग जनजाति क्षेत्रीय विकास होगा।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर/-
(गजानन्द)
शासन उप सचिव

---

**राजस्थान सरकार, प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3), क्रमांक: प.6(14)प्रसु/अनु-3/2008(2) जयपुर, दिनांक 14.3.2008**

**आज्ञा**

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (2007 का 2) दिनांक 31.12.07 से लागू हो गये हैं एवं इनके निर्मित नियम की अधिसूचना दिनांक 1.1.2008 को जारी हो चुकने के कारण इसकी क्रियान्विति हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार एतद् द्वारा किया जाता है :-

| | | |
|---|---|---|
| क | **जिला कलक्टर** | अध्यक्ष |
| ख | जिला स्तर की पंचायत के तीन सदस्य जिन्हें जिला पंचायत द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा जिनमें से कम से कम 2 अनुसूचित जनजातियों के होंगे जो अधिमानत: ऐसे सदस्य होंगे जो वन निवासी है या जो आदिम जनजाति समूहों के हैं और जहां कोई अनुसूचित जनजातियां नहीं है वहां ऐसे 2 सदस्य जो अधिमानत: अन्य रम्परागत वन निवासी हैं और एक महिला सदस्य होगी। | सदस्य |
| ग | सम्बद्ध खंड वन अधिकारी या सम्बद्ध उप वन संरक्षक, वन विभाग | सदस्य |
| घ | अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में परियोजना अधिकारी/उप परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग तथा शेष जिलों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (सम्बन्धित) | सदस्य |

**जिला स्तरीय समिति के कृत्य**

| | |
|---|---|
| क | यह सुनिश्चित करेगी कि नियम 6 के खण्ड (ख) के अधीन अपेक्षित जानकारी ग्राम सभा या वन अधिकार समिति को उपलब्ध करा दी गई है। |
| ख | इस बारे में परीक्षा करेगी कि सभी दावों, विशेषकर आदिम जनजातीय समूहों, पशुचारकों और यायावर जनजातियों के सभी दावों का अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समाधान कर दिया गया है। |
| ग | उप खण्ड स्तर की समिति द्वारा तैयार किये गये वन अधिकारों के दावों और अभिलेख पर विचार करेगी और अन्तिम रूप से उनका अनुमोदन करेगी। |

| | |
|---|---|
| घ | उपखंड स्तर की समिति के आदेशों से व्यथित व्यक्तियों से अर्जियों की सुनवाई करेगी। |
| ङ | अत: जिला दावों के सम्बन्ध में अन्य जिलों के साथ समन्वय करेगी। |
| च | सुसंगत सरकारी अभिलेखों, जिनके अन्तर्गत अधिकारों का अभिलेख भी है में वन अधिकारों के समावेशन के लिए निर्देश जारी करेगी। |
| छ | जैसे ही अभिलेख को अन्तिम रूप दे दिया जाये, वन अधिकारों के अभिलेख का प्रकाशन सुनिश्चित करेगी। |
| ज | यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम के अधीन और इन नियमों के उपाबन्ध 2 और 3 में यथाविनिर्दिष्ट वन अधिकारों और हक के अभिलेख की अधिप्रमाणित प्रति सम्बद्ध दावेदार और सम्बन्धित ग्राम सभा को दे दी गई है। |

इस समिति का प्रशासनिक विभाग जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग होगा।

आज्ञा से
(गजानंद)
शासन उप सचिव

---

**राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का आदेश क्रमांकः एफ17( )परावि/प्रशा- 1/2008/2329 जयपुर, दिनांक 22.7.2008**

ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विभागों द्वारा सम्पादित करवाये जाने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने व जनभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक स्थाई ''पर्यवेक्षण समिति'' का गठन एतद द्वारा किया जाता हैः-

| क्र.सं. | पदनाम | अध्यक्ष/सदस्य |
|---|---|---|
| 1 | सरपंच | अध्यक्ष |
| 2 | दो पंच जो पंचायत द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। | सदस्य |
| 3 | विवाद रहित भूतपूर्व सैनिक/सेवा निवृत्त कर्मी/आडिट फोरम/सतर्कता समिति का सदस्य जो ग्राम पंचायत द्वारा किया जावेगा। | सदस्य |
| 4 | ग्राम सेवक सम्बन्धित ग्राम पंचायत | सदस्य सचिव |

1. सम्बन्धित विभाग कार्यों की स्वीकृति आदेश की प्रति एवं कार्य के प्रारम्भ होने व पूर्व होने की सम्भावित तिथि की सूचना सम्बन्धित ग्राम पंचायत को देने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ करेगा।
2. कार्यों की गुणवत्ता, समय पर कार्य पूर्ण करना इत्यादि की जांच कर कमियों सम्बन्धी रिपोर्ट यह समिति सम्बन्धित विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को भिजवायेगी।
3. सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट/टिप्पणी एक माह में सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भिजवाई जावेगी। इस समिति का प्रशासनिक विभाग पंचायती राज विभाग होगा।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर/-
शासन उप सचिव